श्रेया द्वारा संचालित शक्ति केंद्र का प्रारूप

“श्रेया शक्ति केंद्र" श्रेया संस्था द्वारा जमीनी स्तर पर की गई पहल का प्रतिनिधित्व करता है, जो पंचायत स्तर पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। “श्रेया शक्ति केंद्र" महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण को दर्शाता है - समुदाय द्वारा संचालित प्रयासों के माध्यम से आत्मनिर्भर गाँव विकसित करने का प्रयास है। शक्ति केंद्र के निवासी अपनी पंचायत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यह स्व-सहायता दृष्टिकोण सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देता है, स्थानीय समुदायों को अपने भविष्य को आकार देने और हमारे राष्ट्रपिता द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है। यह केंद्र ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य करता है। श्रेया शक्ति केंद्र का स्वरुप गैर राजनितिक है, श्रेया शक्ति केंद्र पूर्णतः समाजिक केंद्र के रूप में कार्य करता है और किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, पंथ, मजहब, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर विभेद नहीं करता है।

हमारा ध्येय वाक्य है कि “ व्यवस्थायाः निराशः न भवितुं उत्थाय किमपि कर्तुं श्रेयस्करम्।“

अर्थात व्यवस्था को दोषी न ठहराए, निराश होने से अच्छा है उठे कुछ करें।

हम सभी बड़े या महान कार्य नहीं कर सकते लेकिन हम छोटे - छोटे कार्य कर सकते है जो किसी को महान बना सकते है। प्रत्येक शक्ति केंद्र स्थानीय विकास आवश्यकताओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता है, पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग करता है एवं उनकी क्षमताओं का विकास करने में उन्हें सहयोग करता है। ये शक्ति केंद्र स्थानीय समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ़ने का प्रयास करता है। संसाधनों के बेहतर प्रयोग और समाज के निम्नतम व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। सभी शक्ति केंद्र स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करता है जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ उस पंचायत के भौगोलिक क्षेत्र तक के निवास करने वाले व्यक्तियों तक सीमित करता है। श्रेया संस्था का दायित्व सभी शक्ति केंद्र संचालकों को प्रशिक्षित एवं संगठित करने तक सीमित रहेगा।

महात्मा गाँधी मानते थे कि भारत गांव में बसता है न कि महलों और शहरों में। भारत को विकसित होना है तो गावों का विकास आवश्यक है , और विकास का अर्थ सड़कें और गलियां नहीं है बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास। श्रेया शक्ति केंद्र भी सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में विकास की किरणों को पहुँचाने का प्रयास करता है।

शक्ति केंद्र संचालक

शक्ति केंद्र का नेतृत्व शक्ति प्रमुख (प्रमुख) द्वारा किया जाता है। शक्ति प्रमुख का चयन श्रेया संस्था द्वारा किया जाता है और उनका कार्यकाल ३ वर्ष के लिए होता है। अच्छे कार्य करने से प्रत्येक ३ वर्षो में उन्हें सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे समाज सेवा में रूचि हो, कम से कम उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण हुआ हो, किसी भी कार्य को प्रेम, करुणा और गरिमा के मूल्य पर केंद्रित रखते हुए करने की क्षमता रखता हो और जिस पंचायत का संचालक बनना चाहता हो उसी पंचायत का निवासी हो तो वह शक्ति केंद्र का संचालक हो सकता है। शक्ति केंद्र कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है अतः लाभ अर्जित होना संभव नहीं है । शक्ति केंद्र संचालक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते है जिन्हे समाज सेवा के कार्य में संतुष्टि मिलती है। शक्ति केंद्र संचालक वो लोग है जो विनम्र भाव से लोगों को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करतें है और उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने का रास्ता दिखातें है। शक्ति केंद्र संचालक यद्यपि गैर राजनितिक व्यक्ति होता है तथापि राजनैतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, आराजकता अथवा तानाशाही से डटकर मुकाबला करता है और गावों के विकास में अपनी महती भूमिका को सुनिश्चित करता है। शक्ति केंद्र के संचालक को शक्ति प्रमुख कहा जाता है। शक्ति प्रमुख द्वारा अच्छे से कार्य नहीं करने से श्रेया संस्था द्वारा हटाया जा सकता है अथवा शक्ति समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत से उन्हें संस्था द्वारा हटाया जा सकता है।

शक्ति प्रमुख का कार्य एवं शक्तियां

शक्ति प्रमुख का मुख्य कार्य शक्ति केंद्र का संचालन और प्रबंधन करना है।

शक्ति प्रमुख प्रत्येक गावों में शक्ति क्लब (न्यूनतम १० सदस्य)का संगठन करता है ।

शक्ति प्रमुख शक्ति क्लब के सदस्यों को मनोनीत करता है। उनकी बैठकों में शामिल होता है।

ग्राम विकास अथवा पंचायत के विकास हेतु परियोजना बनाता है एवं उपयुक्त माध्यम से उन्हें पारित कराता है।

सामुदायिक कार्यों के लिए धन इकठ्ठा करता है एवं सामुदायिक कार्य संपन्न कराता है।

प्रत्येक माह शक्ति केंद्र की योजनाओं की समीक्षा बैठक करतें है, आय व्यय का मासिक व्योरा प्रस्तुत करतें हैं ,

शक्ति प्रमुख के अन्य कार्य

प्रत्येक वर्ष श्रेय संस्था को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करतें है और वर्ष भर संस्था द्वारा दिए कार्यक्रमों को संपन्न करातें है। सामाजिक सेवा गतिविधियों का आयोजन और निगरानी। सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना और समस्याओं का समाधान करवाना। गांवों में शिक्षा, आजीविका, और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर कार्य करना। निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करता है। समय – समय संस्था पर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है एवं ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करता है। शक्ति केंद्र के नाम से संगठन का निबंधन कराता है तथा बैंक में खाता खुलवाता है और सभी लेन - देन बैंक के माध्यम से करने का प्रयास करता है।

शक्ति क्लब

शक्ति केंद्र का मुख्य कार्य गांवों में शक्ति क्लब का गठन करना है। प्रत्येक गांव में साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें ग्रामीणों की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा होती है। मासिक बैठकें शक्ति केंद्र में आयोजित की जाती हैं, जहां विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं और विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, आजीविका, और सरकारी योजनाओं पर चर्चा करना है। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर ज्ञापन तैयार कर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है और पिछले ज्ञापनों का फॉलोअप किया जाता है।

शक्ति समिति

प्रत्येक शक्ति क्लब में न्यूनतम १० सदस्य होते है, सदस्यों द्वारा प्रत्येक शक्ति क्लब में एक क्लब प्रमुख नामित किया जाता है। सभी क्लब प्रमुख एवं शक्ति प्रमुख मिलकर एक शक्ति समिति बनाते है जिसका अध्यक्ष शक्ति प्रमुख होता है। शक्ति समिति सभी निर्णय सामूहिक रूप से लेती है। किसी विषय पर सहमति न बनने की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जातें है। शक्ति समिति दो तिहाई बहुमत से शक्ति प्रमुख को हटाने का प्रस्ताव श्रेया संस्था को भेज सकती है।

परियोजना विषय

शक्ति केंद्र पंचायत स्तर पर समूहिक जिम्मेदारी के साथ सभी विषयों पर चर्चा करता है एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। तथापि कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिससे विकास कार्य सीधे जुड़े होते है अतः उन विषयों पर परियोजना निर्माण कर शीघ्र समाधान का प्रयास करता है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र इस प्रकार है।

। स्वछता एवं पेयजल सम्बन्धी परियोजना।

। कल्याणकारी योजना

। व्यक्तित्व विकास परियोजना

। खेलकूद परियोजना

। रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्योग सम्बन्धी परियोजना

। पंचायत विकास परियोजना

। शिक्षा परियोजना

। सिंचाई एवं लघु सिंचाई परियोजना

। कृषि एवं पशुपालन परियोजना

। अन्यान्य परियोजना

राजस्व सृजन

शक्ति केंद्र विभिन्न स्रोतों से आय उत्पन्न करता है। इसमें दान, एनजीओ के योगदान, और सामाजिक गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल है। शक्ति केंद्र मेलों, खेल गतिविधियों और व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनसे प्राप्त आय का उपयोग केंद्र की गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं से उत्पन्न आय का 10% हिस्सा शक्ति केंद्र व्यय के लिए रखा जाता है।

रिकॉर्ड कीपिंग और लेखा पुस्तिका

शक्ति केंद्र में सभी वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। प्रत्येक लेन-देन के लिए रसीदें और वाउचर बनाए जाते हैं। आय और व्यय के लिए अलग-अलग खाता पुस्तिकाएं रखी जाती हैं, जिसमें तिथि, विवरण, स्रोत/व्यय श्रेणी, रसीद/वाउचर संख्या, और राशि दर्ज की जाती है। मासिक वित्तीय सारांश और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, जिनका वार्षिक ऑडिट भी कराया जाता है।

निष्कर्ष

शक्ति केंद्र महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांतों को साकार करने का एक प्रयास है। यह केंद्र ग्रामीण समुदायों में स्वशासन, स्वावलंबन, और सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है। शक्ति प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से शक्ति केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह ग्रामीणों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और सामूहिक प्रयासों से उनके समाधान की दिशा में कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार, शक्ति केंद्र ग्रामीण समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरता है, जो गांवों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यदि आपको लगता है की आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है एवं आपसी समन्वय के साथ निर्देशों का पालन करते हुए पंचायत के लोगों का विकास करने की इच्छा है, संगठन का निर्माण कर सकते है तो आप भी अपने क्षेत्र में शक्ति प्रमुख के रूप में शक्ति केंद्र योजना का हिस्सा बन सकते है इसके लिए निचे दिए आवेदन को भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ कार्यालय के पते पर जमा करें।

निर्देशानुसार

शक्ति केंद्र आवेदन फॉर्म

श्रेया संस्था, पुराना बिजली ऑफिस, स्कूल रोड, दुमका, झारखण्ड - 814101

संपर्क - ईमेल – sryeajharkhand@gmail.com

वेबसाइट – www.sryeafoundation.in

मोबाइल नंबर - 9334455893

आवेदक किस पंचायत हेतु आवेदन कर रहा है -..... यहाँ अपना फोटो चिपकाएं

आवेदक का नाम -			
पिता का नाम -			
पता - **थाना -**	**ग्राम -**	**पोस्ट -**	
पंचायत - **PIN -**	**प्रखंड -**	**जिला -**	
मोबाइल नंबर -			
जन्म तिथि -	**उम्र (०१/०१/२०२४ को)**		
लिंग - महिला / पुरुष			
शैक्षणिक योग्यता	**विद्यालय /महाविद्यालय**	**उत्तीर्ण वर्ष**	**प्रतिशत प्राप्तांक**
मीट्रिक - **इंटरमीडिएट** **स्नातक**			
कार्यानुभव यदि हो			
संलग्न करें **पते का प्रमाण पत्र** **पहचान का प्रमाण पत्र** **शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र**			

हस्ताक्षर